वाद संख्या – 12/22 (बरेली)

हंसमुखी बनाम मुख्य अभियन्ता (वि0)

11.10.2022

पुकार गया। परिवादिनी अनुपस्थित पायी गयी। विपक्षी उपस्थित पाया गया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा सुना। परिवादिनी द्वारा परिवाद पत्र संस्थित कर याचना किया गया है कि परिवादिनी के विरूद्ध अधिरोपित जुर्माने की धनराशि और एफ0आई0आर0 से परिवादिनी को मुक्त किया जाये। विपक्षी की ओर से कहा गया कि परिवादिनी द्वारा जुर्माने की धनराशि और एफ0आई0आर0 से मुक्त करने की याचना किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि परिवादिनी के विरूद्ध विद्युत चोरी का मामला पंजीकृत किया गया है। परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रतिलिपि सफीना–अन्तर्गत धारा 160 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह अंकित है कि विद्युत चोरी से सम्बन्धि मामले की प्रथम सूचना प्रतिवेदन मु0अ0 सं0 3036/2022 अन्तर्गत धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन)–2003 परिवादिनी के विरूद्ध पंजीकृत है। उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल) विनियमावली 2007 के पैरा 5.0 में फोरम की अधिकारिता का उल्लेख किया गया है। उक्त विनियमावली के पैरा 5.1 में यह उल्लिखित है कि फोरम परिवाद स्वीकार नहीं, यदि वह विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126,127,128,135 से 139,143,152 और 161 में वर्णित मामलों से सम्बन्धित है। प्रस्तुत मामले में अन्तर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम परिवादिनी के विरूद्ध मामला पंजीकृत है। इसलिए उक्त विनियमावली के पैरा 5.1 के अनुसार प्रस्तुत मामले को संधार्य करने की अधिकारिता फोरम को प्राप्त नहीं है। चूंकि प्रस्तुत मामले को संधार्य करने की अधिकारिता फोरम को प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रस्तुत मामला संधार्य नहीं है। अतः परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर किया जाये।

(जगदीश)
अध्यक्ष